भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3565
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में बढ़ते मामले

3565. श्री ए. राजा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के सभी रिक्त पद भरे जाएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) लोक अदालतों का आयोजन, शुल्क का संयोजन और हल्की कार्यवाही पर भारी जुर्माना लगाने सहित विभिन्न न्यायालयों में मामलों की भारी संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामलों के लंबित रहने का कोई एक सुस्पष्ट कारण नहीं है। यह एक बहुआयामी स्थिति है। तथापि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, जनता के बीच पहुँच में आसानी और जागरूकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के साथ, नए मामलों के फाइल किए जाने की संख्या वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ रही है, जबकि न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या वैसी ही बनी हुई है। इसलिए, मामलों के लंबित रहने का मुख्य कारण देश में न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात का अपर्याप्त होना और माननीय न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या का होना भी है । महामारी, जो वर्ष 2020 के आसपास शुरू हुई, ने भी लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

(ख) : उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं, जबकि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाने से पहले, राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट और अन्य प्रासंगिक रिपोर्टों सहित, कई

स्तरों की संवीक्षा से गुजरती हैं। मई 2014 से, उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,024 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2007 के आदेश के द्वारा निर्धारित समयसीमाओं का पालन करती है।

(ग) और (घ) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अडिग है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए कई पहलें की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों को कम करके पहुँच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करने वाले दोहरे उद्देश्य थे । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर बल देना सम्मिलित है ।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन सरल हो सके और न्याय परिदान में सहायता मिल सके । वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ होने के समय से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण **1** और **2** के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था । 99.5% तक न्यायालय परिसरों को डब्ल्यू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारीख 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्यवाही की है और 714.99 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल किया है । मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का अनुमोदन कर दिया है। चरण-I और चरण-II के अभिलाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय परिदान को सभी पणधारियों के लिए परगामी

रूप से अधिक मजबूत, आसान और पहुंच योग्य बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों /विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने की दृष्टि से, सरकार ने, विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विर्निदिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे मन से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015, 2019 और 2021 द्वारा समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में तीव्रता लाने के लिए संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों की संख्या के प्रक्रम के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. सरकार ने, वर्ष 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-विधि डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	दी गई सलाह	% वार ब्रेक अप
लिंग के अनुसार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	1,10,05,420		1,08,69,661	

*डाटा 28.02.2025 तक.

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्धौगिकी कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ अधिवक्ता प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु **(**एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स**)** पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

xi. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और विवादों को पूर्वमुकदमेबाजी चरण में निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतें, न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के प्रभावी ढंगों में से एक ढंग है, जिसे जनता से सकारात्मक उत्तर मिला है। लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं, अर्थात् राज्य लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी

लोक अदालतें, जो इस प्रकार हैं:

i. राज्य लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मुकदमे-पूर्व और मुकदमे-पश्चात दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है।

ii. भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में मामलों (मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद) के निपटारे के लिए तिमाही आधार पर एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। हर वर्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है । वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 8 मार्च, 10 मई , 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित की जानी हैं ।

iii. स्थायी लोक अदालतें अधिकांश जिलों में स्थापित स्थायी स्थापन हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र का उपबंध करते हैं।

राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे भेजे गए लंबित मामलों पर ही कार्यवाही करती हैं। चूंकि ये लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं हैं, इसलिए सभी निपटाए न गए मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए ये लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे इस प्रकार है:

(i) राज्य लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022-23	8,51,309
2023-24	12,07,103
2024-25 (24 दिसम्बर तक)	12,08,227

(ii) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022	4,19,26,010
2023	8,53,42,217
2024	10,45,26,119

(iii) स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	कुल निपटाए गए मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25 (24 दिसम्बर तक)	1,61,277

****